पत्र सं०-एम-4-27/2011- 6465/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजय कमार सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 22/7/15

विषय :- व्ययगत जमा राशि के पुर्नभुगतान हेतु प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राजस्व जमा, कोर्ट जमा, कार्य जमा, व्यक्तिगत जमा आदि के रूप में सिविल जमा खाता में जमा राशि तीन वित्तीय वर्षो के बाद व्ययगत हो जाती है। प्रशासी विभागों द्वारा व्ययगत जमा राशि के पुनर्भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय से अनुरोध किए जाने के कुछ दृष्टांत संज्ञान में आए हैं। इस संदर्भ में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाता है :-

1. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 344 में वर्णित प्रावधान के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा प्रशासक सभी सिविल जमा खातो की समीक्षा करेगा। तीन क्रमिक वित्तीय वर्षो तक (जिसमें जमा किए जाने का वर्ष शामिल है) अप्रयुक्त पड़े धन को बाद में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। जो राशि समेकित निधि से निकासी कर सिविल जमा (राजस्व जमा, कोर्ट जमा, व्यक्तिगत जमा, कार्य जमा) में रखी गयी है, तीन क्रमिक वित्तीय वर्षो तक यदि अप्रयुक्त पड़ी रहे तब वैसी राशि को तीन वित्तीय वर्ष के उपरांत खर्च नही किया जाना चाहिए तथा उस अप्रयुक्त पड़ी राशि को व्ययगत (Lapsed) माना जाएगा। उक्त अप्रयुक्त पड़ी राशि को संबंधित सेवा शीर्ष (जिस सेवा शीर्ष से राशि की निकासी की गई थी) के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय में कमी के तौर पर पुस्त हस्तांतरण द्वारा जमा की जायेगी।

राजस्व व्यय-	मुख्य शीर्ष (XXXX)	-उप मुख्य शीर्ष (XX)	-लघु शीर्ष (911)	-उप शीर्ष (XXXX)
पूंजीगत व्यय-NP-	मुख्य शीर्ष (XXXX)	-उप मुख्य शीर्ष (XX)	-लघु शीर्ष (xxx)	-उप शीर्ष (XXXX)
SP-	मुख्य शीर्ष (XXXX)	-उप मुख्य शीर्ष (XX)	-लघु शीर्ष (xxx)	-उप शीर्ष (XXXX)
CPS-	मुख्य शीर्ष (XXXX)	-उप मुख्य शीर्ष (XX)	-लघु शीर्ष (xxx)	-उप शीर्ष (XXXX)
CSS-	मुख्य शीर्ष (XXXX)	-उप मुख्य शीर्ष (XX)	-लघु शीर्ष (xxx)	-उप शीर्ष (XXXX)

(यहां X निकासी के लेखा शीर्ष को व्यक्त करता है।)

तीन वित्तीय वर्षो की गणना में उस वित्तीय वर्ष को भी शामिल किया जाना होगा जिस वित्तीय वर्ष में राशि सिविल जमा में जमा होती है। राशि अगर 31 मार्च को भी जमा की गयी है तो उसे भी एक वित्तीय वर्ष माना जाएगा। इस प्रकार व्ययगत हुई राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा किए जाने के उपरांत इसकी पुनः निकासी के लिए बजट प्रावधान तथा समेकित निधि से किसी निकासी हेतु आवश्यक सभी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक होगा जिसके लिए महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही होगी।

Pramod/sec-4/59

2. वैसी राशि, जो समेकित निधि से जमा न होकर अन्य स्रोत से सिविल जमा में जमा होती है, की वापसी जब नियमानुसार की जानी है तथा देय होने की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों तक अदावाकृत रहती है तब वह व्ययगत (Lapsed) हो जाएगी और उक्त राशि को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 331 के अनुसार सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 0075 विविध सेवाओं के अन्तर्गत पुस्त हस्तांतरण द्वारा अंतरित किया जाना होगा और बाद में यदि एसी रकम का दावा किया जाता है तब राशि की निकासी के लिए बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 333 के तहत महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र निर्गत कराना होगा एवं इसके लिए बिहार कोषागार संहिता फार्म संख्या 54 मे अनुरोध के साथ उन चालानों की मूल प्रति भी संलग्न करनी होगी जिन चालानों द्वारा राशि सिविल जमा में जमा की गयी थी तथा व्ययगत (Lapsed) होने के उपरांत मुख्य शीर्ष 0075 विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत जमा किया गया था।

3. विभिन्न न्यायालयों के रजिस्ट्रार द्वारा जमा मुख्य शीर्ष 8443 में सिविल न्यायालय में जमा राशियों की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र के मामले में उक्त राशि तभी व्ययगत (Lapsed) मानी जाएगी जबकि न्याय निर्णय या अन्य निर्णय के अनुपालन में जिस तिथि को उसे वापस करना तय हुआ हो, के उपरांत तीन वित्तीय वर्षों तक वह राशि सिविल जमा में जमा रह गयी है और किसी कारण से वापसी नहीं हो सकी है तब पूरे तीन वित्तीय वर्षों तक अदावाकृत रही उक्त राशि को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 331 में वर्णित प्रावधान के तहत सर्वप्रथम मुख्य शीर्ष 0075 मे पुस्त हस्तांतरण द्वारा जमा करना होगा। बाद में कभी प्राप्तकर्त्ता द्वारा दावा किए जाने पर 0075 मुख्य शीर्ष से राशि की वापसी के लिए महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र निर्गत कराना होगा। इसके लिए संबंधित कार्यालय जहां से राशि वापसी होनी है द्वारा उन चालानों की मूल प्रति जिन चालानों द्वारा राशि सिविल जमा में जमा की गयी थी तथा व्ययगत (Lapsed) होने के उपरांत मुख्य शीर्ष 0075 विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत जमा किया गया था के साथ महालेखाकार कार्यालय से बिहार कोषागार संहिता फार्म संख्या 54 में आवेदन किया जायेगा जिसके लिए बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 332 से 335 तक में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र निर्गत होने पर उसका लेखांकन संबंधित कोषागार के पंजी में अंकन होगा ताकि राशि की वापसी के समय उक्त जगह राशि का भुगतान किया हुआ दिखलाया जा सके।

अनुरोध है कि उपर्युक्त आशय का निदेश अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को देते हुए दृढ़तापूर्वक इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार सिंह)
सचिव (व्यय)

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3 कृ०–बजट–विविध–09/2015 4106 /कृ०, पटना, दिनांकः –14/8/2015

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक बामेति/निदेशक पी०पी०एम०/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/

Pramod/sec-4/60

संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि दृढ़तापूर्वक इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

14/8/15

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4106 /कृ०, पटना, दिनांकः – 14/8/2015

प्रतिलिपि :– सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4106 /कृ०, पटना, दिनांकः 14/8/2015

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

14/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।